

आयुक्ता

मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

सेवा में

## सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्।

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक

शिःस०/६०८/२२-१४ / 2012-13

दिनांक ०७-०३-२०१५

विषय

एके हमी आफ माडनलर्निग, गुन्नोर, समर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता

हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत करता है कि शासनादेश सं०- शिक्षा (७) अनुभाग संख्या- 1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14-07-09 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति के निर्णय दि० 28-02-2014 के कम में उक्त सदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार की निनालिखित प्रतिवधी के अधीन आपत्ति नहीं है।-

01. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
02. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
03. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ००प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैशिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
04. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ जैकेन्ड्री एज्युकेशन नई दिल्ली/कॉरिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से ००प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
05. संस्था के वैशिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वैत्तनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैत्तनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।
06. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लक्ष उपलब्ध कराया जायेगा।
07. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
08. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रखा जायेगा।
09. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवधी का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवधी का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

( कृष्ण कुमार )

अपर आयुक्त (प्रशासन)

कृते आयुक्त।

पृ०स०: शिःस०/६०८/२२-१४ / 2012-13  
प्रतिलिपि: निनालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित:-

01. संयुक्त सचिव, ००प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग-७, लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी, सभल
04. संघका शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद